

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602

संख्या:अड्डारह-आशु0 (वरिष्ठता)-2021

दिनांक:लखनऊ:जनवरी 05, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्र0 सं0 | ज्येष्ठता क्रमांक | पीएनओ | नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | वर्तमान नियुक्ति | चयन वर्ष |
|----------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------|
| 1 | 4 | 962650220 | श्री नवी हुसैन | श्री रहमानुलहक | 30.06.1970 | 38BN | 2021 |
| 2 | 6 | 992220035 | श्री प्रेम शंकर शर्मा | स्व.राम सेवक शर्मा | 21.09.1966 | CBCID LKW | 2021 |
| 3 | 7 | 992700038 | श्री राजेन्द्र वर्मा | श्री झूरी वर्मा | 01.07.1965 | CBCID LKW | 2021 |
| 4 | 8 | 992340030 | श्री राम निरंजन | श्री राम खेलावन | 01.01.1963 | 42 BN | 2021 |
| 5 | 9 | 002240204 | श्री शिवकुमार वर्मा | श्री महादेव प्रसाद वर्मा | 15.10.1966 | DGP HQ LKW | 2021 |
| 6 | 10 | 992320038 | श्री ज्ञान प्रकाश | रामाश्रय प्रसाद | 08.05.1968 | GRP GKR | 2021 |
| 7 | 11 | 992220048 | श्री बेचन प्रसाद | बदरी | 10.12.1962 | 30 BN | 2021 |
| 8 | 12 | 992400026 | श्री मोहम्मद फारूख | श्री भूरे खॉ | 08.06.1965 | 49 BN | 2021 |
| 9 | 13 | 002610043 | श्री शोभनाथ पटेल | मंगरुराम पटेल | 09.02.1967 | PTS STR | 2021 |
| 10 | 14 | 992120090 | श्री तेजपाल सिंह | घासी सिंह | 05.07.1963 | PAC HQ LKW | 2021 |
| 11 | 15 | 992200017 | श्री दिनेश कुमार सिंह | श्री अवधेश सिंह | 02.07.1965 | GRP PRJ | 2021 |
| 12 | 16 | 992300023 | श्री सुरेश बाबू सोनी | भैया लाल सोनी | 02.12.1962 | FHR | 2021 |
| 13 | 17 | 992140018 | श्री हरपाल सिंह | स्व0 रघुवीर सिंह | 08.07.1963 | 44 BN | 2021 |
| 14 | 18 | 012310021 | श्री सुखराम पाल | रमन पाल | 05.05.1964 | SDR | 2021 |
| 15 | 19 | 012761151 | श्री दिनेश सिंह यादव | श्री रामरूप सिंह यादव | 25.04.1966 | SBR | 2021 |
| 16 | 20 | 012120521 | श्री विजय सिंह | श्री प्रताप सिंह | 01.01.1966 | BDN | 2021 |
| 17 | 21 | 971150012 | श्री राकेश कुमार मिश्रा | स्व. संकटा प्रसाद मिश्र | 08.10.1972 | SPL. INQ. LKW | 2021 |
| 18 | 22 | 970020291 | श्री चन्द्रप्रभा मौर्या | स्व. खान सहाय मौर्य | 06.08.1976 | CBCID LKW | 2021 |
| 19 | 23 | 971030033 | श्रीमती मुजना जफर | स्व. वहीदुल जफर | 04.02.1974 | PAC HQ LKW | 2021 |
| 20 | 24 | 970020523 | श्री रमेश कुमार | स्व. जगदीश सिंह | 05.02.1978 | DGP HQ LKW | 2021 |
| 21 | 25 | 970350033 | श्रीमती पवनलता यादव | स्व. रघुपति सिंह | 09.06.1975 | ZUF | 2021 |
| 22 | 26 | 970020507 | श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव | स्व.सोहनलाल श्रीवास्तव | 15.01.1976 | PRJ | 2021 |
| 23 | 27 | 972292755 | श्री धर्मेन्द्र कुमार | स्व. राजेन्द्र सिंह | 01.09.1976 | MDD | 2021 |
| 24 | 28 | 971270017 | श्री राकेश बहादुर सिंह | स्व. वीरेन्द्र सिंह | 10.08.1973 | JNR | 2021 |
| 25 | 31 | 970820325 | श्री मुनेन्द्र कुमार पाण्डेय | श्री शिव प्रसाद पाण्डेय | 02.07.1975 | INT HQ LKW | 2021 |
| 26 | 32 | 982850017 | श्री रमेश कुमार पाण्डेय | स्व. देवदत्त पाण्डेय | 01.06.1979 | SFSTC UAO | 2021 |

2- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21 /89-का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-


- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मियों को प्रदावनात किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)


(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय/सीबीसीआईडी मुख्यालय/रेलवे/विशेष जाँच/प्रशिक्षण/अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ।
- 3-अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
- 5-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
- 6-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद- सिद्धार्थनगर/सोनभद्र/बदायूँ/मुजफ्फरनगर/प्रयागराज/मुरादाबाद।
- 7-सेनानायक 30/38/42/44/49 वीं वाहिनी पीएसी।
- 8-प्रभारी सेनानायक/प्रधानाचार्य, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, दोस्तीनगर, उन्नाव।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र-----का पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश


टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602
संख्या:अड्डारह-आशु0 (वरिष्ठता)-2021 दिनांक:लखनऊ:जनवरी 05,2022

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु विचारित किया गया। शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997, दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2(क),(ख),(ग)में अंकित परिस्थितियों विद्यमान होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा उनके प्रोन्नति चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्र० सं० | वरिष्ठता सूची का क्रमांक | पीएनओ | नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | नियुक्ति स्थान | मुहर बन्द लिफाफे का चयन वर्ष |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------|----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 30 | 972531423 | श्रीमती छाया पाठक | श्री कल्याण दास शर्मा | 01.01.1964 | MTA | 2021 |
| 2 | 01 | 930020039 | श्री मनोज कुमार गुप्त | स्व.श्री नरेन्द्र कुमार गुप्त | 04.04.1973 | KHI | 2017 |
| 3 | 02 | 942520505 | श्री दिनेश कुमार | श्री चौथी राम | 05.01.1969 | MAU | 2020 |
| 4 | 03 | 962250172 | श्री जय नारायण अवस्थी | श्री कन्हैया लाल अवस्थी | 25.01.1963 | SCRB | 2020 |

2- आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।


(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा/लखनऊ/वाराणसी जोन।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, आगरा/लखनऊ/आजमगढ़ परिक्षेत्र।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा/खीरी/मऊ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602
संख्या:अद्वारह-आशु0 (वरिष्ठता)-2021 दिनांक:लखनऊ:जनवरी 05, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-चार-10(21)-2021 दिनांक04.01.2022 द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-5 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में 01 मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक उसके सापेक्ष चयन वर्ष-2021 के रिक्त रखे गये 01 पद के सापेक्ष काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर अस्थाई रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है। यह काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगा। इस कर्मी के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

| क्र० सं० | ज्ये० क्रमांक | पीएनओ | नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | नियुक्ति स्थान | चयन वर्ष |
|----------|---------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 34 | 980020252 | श्री दुर्गेश श्रीवास्तव | श्री कुंवरमानु प्रताप श्रीवास्तव | 14.08.1979 | बौदा | स्थानापन्न 2021 |

2- उक्त पदोन्नति काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगी।

3- मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4- स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

संजय

(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बॉदा ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, बॉदा।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र-----का पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:--

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----द्वारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर ,

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:--

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।